प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनांक 03.10.2025**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)/352/351(3)/115(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 08.09.2025 थाना बिनौली पर वादी श्री जयवीर सिंह पुत्र श्री जोगेराम निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. पप्पू पुत्र आसे, 2. आकाश पुत्र पप्पू, 3. गौरव पुत्र पप्पू, 4. राजीव पुत्र ओमकार, 5. अजय पुत्र ओमकार, 6. संजय पुत्र ओमकार, 7. सोनू, 8. अक्षय, 9. धर्मेन्द्र, 10. जितेन्द्र पुत्रगण रामचन्दर निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा लाठी -डण्डों व धारादार हथियार से लैस होकर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी व जान से मारने की धमकी दी व ट्रेक्टर से परिवाजनों को कुचल दिया, जिससे पैर व हाथों की हड्डी टूट गयी।

इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)/352/351(3)/115(2) बीएऩएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)/352/351(3)/115(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजय पुत्र ओमकार निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-का0 240 तरूण कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 03.10.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 562/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.09.25 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री देवेन्द्र पुत्र बलवीर सिंह निवासी फ्लैट न0 502 टावर नम्बर 21 लॉ ट्रापिकाना पार्शव नाथ सिविल लाईन दिल्ली ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1-प्रमोद पुत्र रिचपाल निवासी ग्राम बाघू थाना बागपत, 2- रविन्द्र पुत्र विक्रान्त सिंह निवासी ग्राम बाघू थाना बागपत, 3- सुन्दर पुत्र अनिल कुमार निवासी फ्लौट न० 11001 देव हाईटस, एनएच 24 गाजियाबाद, डासना विले के पास, मसूरी, जनपद गाजियाबाद, 4-मयंक, 5- अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री दाताराम अग्रवाल निवासी पटेल मार्ग गाजियाबाद, 6-पटवारी ग्राम सिसाना बागर तहसील बागपत जनपद बागपत, 8- तहसीलदार तहसील बागपत द्वारा षडयंत्र कर घोखाधडी से अभियुक्तगण द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैनामा कर आवेदक से 04 करोड 31 लाख 32 हजार 411 रुपये ले लिये। इस सम्बन्ध मे प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 562/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में बयान अभियुक्त व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण 1- महेश पुत्र भीमसिंह निवासी निरोजपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत व 2-महेन्द्र उर्फ मुनेन्द्र पुत्र भीमसिंह निवासी निरोजपुर थाना बागपत जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 562/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सुन्दर कुमार पुत्र न्यादर सिंह निवासी नया गांव थाना खरखौदा जनपद मेरठ हाल निवासी 730 मेरठ रोड गणेशपुर हापुड जनपद हापुड उम्र करीब 38 वर्ष।

2-महेश पुत्र भीमसिंह निवासी ग्राम निरोजपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपतर उम्र 35 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

2-है0का0 650 योगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 03.10.25**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 602/25 धारा 74/77/64(2)(m)/351(2)/318(4) बीएनएस व 3/5 उ0प्र0 विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 602/25 धारा 74/77/64(2)(m)/351(2)/318(4) बीएनएस व 3/5 उ0प्र0 विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अल्ताफ उर्फ गुड्डू पुत्र महमूद निवासी मौ0 अर्जुनपुरम निकट जीवनदीप अस्पताल कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 27 वर्ष।

2-नौशाद अली उर्फ राजा उर्फ अखलाक पुत्र शहीदुद्दीन निवासी मौ0 केतीपुरा पुराना कस्बा बागपत हाल पता घनश्याम दास रोड, सुधीर बर्फ खाना के सामने कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-व0उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

2-म0उ0नि0 संध्या वघेल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

3-है0का0 873 हरीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

बागपत पुलिस

थाना दोघट

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

आज दिनांक 03/09/25 को थाना दोघट के मिशन शक्ति केन्द्र पर पर वादिया शालू पत्नी शुभम निवासी पुसार थाना दोघट जनपद बागपत अपने ससुरालीजनों के खिलाफ शिकायत लेकर आई, मिशन शक्ति टीम ने उसकी शिकायत को सुना और तुरंत संज्ञान लेते हुए उसके ससुरा वालो को मिशन शक्ति केन्द्र पर बुलाया गया और काउंसलिंग के माध्यम से दोनों पक्षों को समझाया गया। मिशन शक्ति की काउंसलिंग से संतुष्ट होकर दोनों पक्षों ने आपसी विवाद को खत्म किया और खुशी से एक साथ रहने को राजी हो गये।

#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

बागपत पुलिस

थाना छपरौली

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

आज दिनांक 03/10/2025 को मिशन शक्ति केंद्र थाना छपरौली पर वादिया खुशबू पुत्री रामपाल निवासी ग्राम खिवाई थाना सरूरपुर जिला मेरठ अपने पति प्रभात पुत्र ओमपाल ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जिला बागपत से नाराज होकर आई, दोनों पति पत्नी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद को दृष्टिगत रखते हुए दोनों की काउंसलिंग मिशन शक्ति केन्द्र पर कराई गई। खुशबू के पति प्रभात ने अपनी गलती मानते हुए खुशबू से माफी मांगी तथा भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने को लेकर लिखित में एक प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दोनों पक्षों का समझौता हो गया। दोनों ने भविष्य में एक साथ मिलकर रहने व आपसी सम्मान बनाए रखने की सहमति दी।

#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

बागपत पुलिस

थाना रमाला

दिनांक 03.10.2025 को थाना रमाला पर वेदों देवी पत्नी स्वर्गीय ओमपाल सिंह निवासी ग्राम बरवाला से एक तहरीर प्राप्त हुई । प्रकरण देवरानी जेठानी के झगड़े का था। दोनों पक्षों को सामने बैठाकर काउंसलिंग की गई तो दोनों पक्षों ने अपनी सहमति से समझौता कर लिया तथा दोनों पक्षों को भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की हिदायत देते हुए थाने से रवाना किया गया।

#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP